

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, टोंक

(सुरेश चौधरी, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

12 / 2024
08.02.2024

गिरिराज पुत्र प्रहलाद गुर्जर निवासी ग्राम गुराई, तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज.

.....अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार नगरफोर्ट, तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0

.....रेस्पोजेण्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार नगरफोर्ट दिनांक 29.01.2024
मिसल नम्बर 690 / 2024

- उपस्थिति : (1) श्री राजेश गुर्जर, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सावंतराम मीना, राजकीय परोकार रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 19.07.2024

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नगरफोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 29.01.2024 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि आराजी खसरा नम्बर 345 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म जमीन चरागाह वाके ग्राम गुराई, तहसील नगरफोर्ट पर फसल सरसों काशत कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अपीलान्ट को भूमि से बेदखल करने, वार्षिक लगान 4.00 रु. का 50 गुणा जुर्माना कुल 200 रु. जमा कराने तथा 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार नगरफोर्ट के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय परोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विधान एवं तथ्यों के



बतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की प्रोपर तामिल अपीलांट पर नहीं हुई, नोटिसों पर अपीलांट के कोई हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर अपीलांट की उपस्थिति के बाबत कोई हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं करवायी गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत का अवसर दिए बिना ही अपीलान्ट के विरुद्ध एकतरफा में निर्णय पारित किया है। निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण नहीं किया और न ही मौके की वास्तविक वस्तु स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई और बिना मौके पर गये निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय एक निर्धारित प्रोफार्मा जो कि पूर्व से तैयार किया गया है, में पारित किया है, उक्त निर्णय में अपीलांट के उपस्थित/अनुपस्थित होने का कोई अंकन नहीं है, ना ही पूर्व में किस तारीख, किस दिन, किस मिसल संख्या से अपीलांट को बेदखल किया गया है, का भी अंकन नहीं हो रखा है। अपीलांट के विरुद्ध हलका पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट की गई है, पटवारी हलका की रिपोर्ट दुर्भावनापूर्वक की गई है। अपीलांट को पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल किये जाने बाबत हलका पटवारी द्वारा कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दी है और न ही इस बाबत कोई विश्वसनीय सबूत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये हैं जिससे अपीलांट के विरुद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता है। उक्त आराजीयात पर वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा अपना कब्जा हटा लिया है और मौके पर अब अपीलान्ट का कब्जा नहीं है। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र भी पेश कर दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नगरफोर्ट का निर्णय दिनांक 29.01.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलांट को विधि अनुसार जरिये नोटिस तलब किया गया है। नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल हुई है व अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अपीलान्ट ने भूमि आराजी खसरा नम्बर 345 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म जमीन चरागाह वाके ग्राम गुराई पर फसल सरसों काशत कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था। अपीलांट ने पुनः उक्त भूमि पर काशत कर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया है। अतिक्रमी सरकारी भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट व राजकीय पेरोकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस सुनवाई का अवसर दिया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं



हुआ है। अपीलान्ट ने अतिक्रमित भूमि से अपना कब्जा हटा लेने व भविष्य में पुनः कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र पेश किया था जिसकी सत्यता की जांच हेतु तहसीलदार नगरफोर्ट से कब्जा संबंधी मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नगरफोर्ट ने मौका रिपोर्ट पत्र क्रमांक 968 दिनांक 04.07.2024 से प्रेषित की जिसमें अंकित किया है कि अतिक्रमी द्वारा उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया है एवं अतिक्रमी द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया हुआ है। मौका रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अपीलांट ने अतिक्रमित भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नगरफोर्ट के निर्णय दिनांक 29.01.2024 के जरिये की गई दोष सिद्धी एवं अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है, परन्तु अपीलांट को दी गई सिविल कारावास की सजा अपास्त की जाती है। अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि यदि उसके द्वारा भविष्य में उक्त भूमि अथवा अन्य किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जावेगी। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आदेश दिनांक 19.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुरेश चौधरी)
अतिरिक्त जिला न्यायालय
टोंक